

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—147 / 2023 (2023 / 337) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गीतादेवी पत्नि डालु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवीलाल पिता डालु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतनीदेवी पुत्री डालु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बहादुर पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतन पिता जीतु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. घीसु पिता मोहनलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गहरीलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

पत्राबली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 199 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 201 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 205 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 206 रकबा 0.03 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1010 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 01.08.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 14.09.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी



*(Handwritten signature)*



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—147 / 2023 (2023 / 337) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गीतादेवी पत्नि डालु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवीलाल पिता डालु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतनीदेवी पुत्री डालु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बहादुर पिता गंगाराम कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतन पिता जीतु माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. घीसु पिता मोहनलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गहरीलाल पिता रामचन्द्र माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 20.12.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 199 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 201 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 205 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 206 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1010 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सुबोधसिंह चारण)

महायक कलेक्टर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा